तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3534/2023/अजमेर** **नौसर व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री जी0एस0 लखावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

श्री मो0 इकबाल, श्री ओंकारलाल दवे एवं श्री गौरव दवे अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—05.12.2024

1— यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील डिक्री टीए संख्या 89/2023 में पारित आदेश दिनांक 29—03—2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण की बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

3— सर्वप्रथम प्रार्थी/निगराकार ने प्रार्थना पत्र वास्ते विलम्ब क्षमा करने में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 29—03—2023 को पारित आदेश के क्रम में अपील में दिनांक 10—07—2023 को प्रार्थीगण ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील चलने योग्य नहीं होने के बिन्दू पर प्रस्तुत किये गये जवाब व अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की तो न्यायालय की पत्रावली को देखने पर जानकारी हुई कि न्यायालय द्वारा इस बाबत् समस्त तथ्य अभिलेख पर रहते हुए कोई विवेचन किये बिना ही अंतरिम आदेश पारित कर दिया तथा अपील को गुणावगुण पर सुनवाई हेतु नियत कर दिया जबकि अपील की पोषणीयता के बिन्दु को सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा करना चाहिए तथा इस कारण जानकारी होते ही प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रार्थीगण ने अविलम्ब माननीय मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

4— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि कोई भी सहदायगी अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं थी तथा प्रार्थीगण का जवाब अभिलेख पर रहते हुए इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना जो आदेश दिनांक 29—03—2023 को पारित किया है, वह राजस्व अपील अधिकारी जी ने अपने में निहित शक्तियों एवं पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए पारित किया है। अपील में वर्णित तथ्यों में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि अपील में अंकित अपीलार्थी संख्या 4 व 5 को किस प्रकार से बतौर अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3534/2023/अजमेर** **नौसर व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की अनुमति दी गयी। जबकि उनके पक्ष में कोई भी विधिपूर्ण पंजीकृत दस्तावेज नहीं है तथा स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण ने जो जवाब धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत किया था जिसमें स्पष्ट अंकित किया था कि अपीलाण्ट संख्या 5 कानाराम के पक्ष में अपीलाण्ट संख्या 4 के पिता प्रदीप सिंह द्वारा इकरारनामा निष्पादित किया है तथा इकरारनामा के आधार पर निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार सृजित नहीं होता है। इसी प्रकार कानाराम के पक्ष में प्रदीप सिंह द्वारा इकरारनामा कर दिये जाने के कारण तथा प्रदीप सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण प्रिंस शेखावत को अपीलार्थी संख्या 4 के रूप में अपील में अंकित कर दिया। इस बिन्दु पर अपील पोषणीय नहीं है, सुनवाई योग्य नहीं है तथा इस बिन्दु पर कोई विवेचन किये बिना कोई विश्लेषण दिये बिना आदेश दिनांक 29–03–2023 पारित किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी अपील भारी मियाद बाहर थी तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर मियाद के बिन्दु पर बहस की गयी थी तथा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 3 ए के आज्ञापक प्रावधानों को नजरअंदाज कर बिना धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित किये राजस्व अपील अधिकारी अजमेर द्वारा निगराधीन आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–07–2022 की क्रियान्विती की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में जिस आज्ञाप्ति की पालना की जा चुकी है, उसकी पालना को स्थगित किये जाने का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं था। इसके अलावा जब उनके समक्ष यह निर्णयजन्य विधि प्रस्तुत कर दी गयी जो 2002 डीएनजे थर्ड राजस्थान पृष्ठ 1357 जिसमें स्पष्ट रूप से नोशनल सेर से अधिक भूमि का किया गया हस्तांतरण अवैधानिक माना गया तो राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष जो प्रकरण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया जाकर जिस प्रकार से स्थगन बाबत् प्रार्थना की गयी, वह स्थगन बाबत् प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं थी। इस कारण राजस्व अपील अधिकारी द्वारा मुंतकिल नहीं किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् पारित किया गया आदेश किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–03–2023 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रश्नगत आराजी के सम्बंध में विरासती नामांतकरण संख्या 233 दिनांक 07–06–1999 को भंवरलाल के स्थान पर उनके वारिसान भागचंद व सुरेश पुत्र भंवरलाल के नाम तस्दीक किया गया तत्पश्चात् भागचंद के द्वारा प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 3076, 3077, 3078, 3101 कुल रकबा 31–10–10 में 1/3 हिस्से का बेचान दिनांक 10–08–2006 को महेन्द्रसेन पुत्र पूसालाल, कन्हैयालाल पुत्र तुलजाराम एवं जगपालसिंह पुत्र हरनामसिंह को दिनांक 10–08–2006 को जरिये पंजीबद्ध बयनामा कर दिया गया। शेष भूमि का बेचान दिनांक 12–03–2005 को कर दिया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दावा दायरी से पूर्व ही भंवरलाल के सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का बेचान किया जा चुका था। उक्त तथ्य को छुपाकर पक्षकारान ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3534/2023/अजमेर** **नौसर व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली। न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–07–2022 की पालना में निगराकारगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लिया तो रेस्पो0 को अपूरणीय क्षति होगी जिसका किसी भी प्रकार से पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन अनिगराकारगण के पक्ष में है। इन्हीं आधारों पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–07–2022 की क्रियान्विति को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित करने का आदेश पारित किया है तथा इसी के साथ प्रश्नगत आराजी को रहन व मुंतकिल नहीं करने हेतु राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। इस प्रकार उक्त आदेश अंतरिम आदेश की परिभाषा में आता है जिसकी मण्डल के समक्ष निगरानी भी पोषणीय नहीं है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29–03–2023 को बहाल रखा जावे।

6– पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते विलम्ब क्षमा करने का निस्तारण किया जाना उचित समझतें है। प्रार्थी निगराकार ने अपने प्रार्थना पत्र में निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण दर्शित किये है वे पर्याप्त एवं संतोषप्रद प्रतीत होते है। अतः निगरकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है। प्रस्तुत निगराकारगण ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत वाद पेश किया। जिसमें पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत किये जाने के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने राजीनामें के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–07–2022 से व्यथित होकर अनिगराकारगण क्रम 01 लगायत 05 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की। उक्त अपील के साथ अनिगराकारगण क्रम 01 लगायत 05 द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 29–03–2023 के द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–07–2022 की पालना को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित रखने के साथ प्रश्नगत आराजी के रहन बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करने बाबत् उभयपक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक पाबंद कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–03–2023 से व्यथित होकर निगराकारगण ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। हमने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश की परिभाषा में आता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर ने एस0बी0 सी0डब्ल्यू0पी0 नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3534/2023/अजमेर** **नौसर व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

8514/2024 बुन्दु बनाम शकूर के मामले में दिये गये आदेश की रोशनी में उक्त निगरानी मण्डल के समक्ष पोषणीय नहीं है। धारा 230 के प्रावधानानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित वाद (केस डिसाईडेड) के विरूद्ध ही मण्डल द्वारा निगरानी सुनी जावेगी। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मण्डल के समक्ष पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

7— परिणामतः प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—03—2023 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य